

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)**

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
25/21	88, 89, 53, 90 F 188 RTM	खेतवाली	5, 6, 31
वादी रामनारायण वगै.		वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी जगन्नाथी वगै.

वकील :- अजय श्री वास्तव एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

**दिनांक** **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

24/21	अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/4/21 को पेश हो।	
25/21	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28/6/21 को पेश हो।	
28/21	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त हान के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 3/8/21 को पेश हो।	
13/21	पत्रावली Covid-19 के कारण पूर्ववत स्थिति में आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी उफा तथा केबल वाली समस्त प्रारत। प्रतिवादी गणों के कोर्ट से श्री संदीप सोलंकी एडवो. का कमलत नामा पेश हुआ जो शार फिरो किया गया। वरते पत्रावली दिनांक 8/11/21 को पेश हो।	

विविध

प्रकरण संख्या 25/021 दावा उत्तमन रामनारायण vs जगन्नीधी कोंठ

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

5/22

पत्रिका पेशा हुई। कुलकर्णी प्ररीकृत उपाधिकृत।  
वकील प्रतिवादी द्वारा जबक पेश नहीं किया गया  
है। समय नहीं है। न्याय दिस में अंतिम  
अवलर दिशा जाता है। वास्तुतः जबक पत्रिका दिनांक  
6/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा जिला बरौ (राज.)

6/22

पत्रिका पेशा हुई। कुलकर्णी प्ररीकृत उपाधिकृत।  
वकील प्राणी द्वारा प्रकरण में NOT PRESS किया  
है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करते  
है। प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप  
की जाती है। पत्रिका कैशाल शुकर होकर  
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा जिला बरौ (राज.)

*Handwritten signature*